रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219] नई दिल्ली, सोमवार, मई 23, 2016/ज्येष्ठ 2, 1938
No. 219] NEW DELHI, MONDAY, MAY 23, 2016/ JYAISTHA 2 , 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 मई , 2016

फा. सं. 2/5/2011 – ईपी (एग्री. VI). — तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।) की धारा 33 की उप – धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 6 की उप – धारा (4) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, तम्बाकू बोर्ड एतदद्वारा तम्बाकू बोर्ड भर्ती विनियम, 2013 में संशोधन करता है, इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 33 की उप – धारा (3) द्वारा यथापेक्षित रूप से अनुमोदित कर दिया है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : - (1) इन विनियमों को तम्बाकू बोर्ड (भर्ती) (संशोधन) विनियम, 2016 कहा जाएगा ।

(2) वे शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. तम्बाकू बोर्ड (भर्ती) विनियम, 2013 की (जिसे एतद्पश्चात प्रधान विनियम कहा जाएगा), अनुसूची में लेखाकार/अधीक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्या 10 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टि प्रतिस्थापित होगी, अर्थात

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैण्ड और ग्रेडवेतन या वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	प्रत्यक्ष भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. लेखाकार/अधीक्षक	33*(2016) *कार्यभार के आधार पर इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।	मध्य स्तरीय प्रबंधन गैर – तकनीकी	वेतन बैण्ड: 9,300-34,800 रू. जमा ग्रेड वेतन 4,200 रू.	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति पाने वालों के मामले में लागू होगी ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है
(7)	(8)	(9)
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से टैली एकाउन्ट्स साफ्टवेयर में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	लागू नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा/तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने के लिए पदों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा	यदि डीपीसी मौजूद है तो इसकी संघटन योजना क्या है ।	वह परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है ।
(10)	(11)	(12)	(13)
पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा पदोन्नति और सीधी भर्ती के जरिये की गई नियुक्ति 2:1 के अनुपात में होगी ।	मंत्रालयी सहायक जिन्होंने तीन वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, जिसके न मिलने पर ऐसे मंत्रालयी सहायक जिन्होंने उच्च श्रेणी लिपिक एवं सहायक के रूप में संयुक्त रूप से दस वर्षों की नियमित सेवा की हो । **नोट1:** जहाँ अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर लेने पर कनिष्ठों को पदोन्नति देने हेतु	1. अध्यक्ष – अध्यक्ष 2. कार्यकारी निदेशक – सदस्य 3. सचिव 4. सदस्य आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से	लागू नहीं

	विचार किया जा रहा है वहाँ उस पद के लिए उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उस पद के लिए अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा से उनकी अर्हक एवं पात्रता सेवा आधे से कम न हो अथवा दो वर्षों की हो, इनमें से जो भी भी कम हो और उन्होंने अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपेक्षित अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो जिसे उनके कनिष्ठों ने उक्त अर्हक एवं पात्रता सेवा के पहले ही पूरा कर लिया है । **नोट 2**: पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 अथवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतनमान लागू होने की तारीख से नियमित आधार पर की गई सेवाओं समनुरूपी ग्रेड वेतन या उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिये गये वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी ।	केन्द्रीय सरकार के समूह क अधिकारी के समकक्ष एक अधिकारी - सदस्य	

3. प्रमुख विनियमों में, अनुसूची में, कॉलम संख्या 6 को सभी पदों के लिए लोप कर दिया जाएगा ।

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन– III/4/असा./100 /(153)]

नोट: प्रधान विनियम दिनांक 1 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं. 2/5/2011–ईपी (एग्री VI) के जरिये भारत के राजपत्र असाधारण, भाग - III - खण्ड 4 में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Tobacco Board, Guntur)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2016

F. No. 2/5/2011 EP(Agri. VI) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 read with sub-sections (1) and (2) of section 33 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975) (therein after reference to as the said Act), the Tobacco Board hereby amends the Tobacco Board Recruitment Regulations, 2013, the same having been approved by the Central Government as required by sub-section (3) of section 33 of the said Act, namely:-

1. Short title and commencement:- (1) These regulations may be called the Tobacco Board (Recruitment) (Amendment) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Tobacco Board (Recruitment) Regulations, 2013 (herein after referred to as principal regulations), in the Schedule, for serial number 10 relating to the post of Accountant/Superintendent and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:—

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non Selection Post	Age limit for direct recruits
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
10. Accountant / Superintendent	33* (2016) *Subject to variation dependent on the workload	Middle Level Management Non-Technical	Pay Band: - Rs.9,300-34,800 with grade pay of Rs.4,200	Selection	Not exceeding 30 years
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.		Period of Probation, if any
(7)			**(8)**		**(9)**
1.Degree of a recognised University or Institute 2. Diploma or Certificate Course in Tally Accounts Software from a recognised institute.			Not Applicable		Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / and percentage of posts to be filed by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
By Promotion and direct recruitment. The appointment through promotion and direct recruitment shall be in the ratio of 2:1	**Promotion:** Ministerial Assistants with three years regular service failing which Ministerial Assistant with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.	1. Chairman – Chairman 2. Executive Director – Member 3. Secretary – 4. Member An officer equivalent to Group A officer of the Central Government from reserved category Scheduled Caste/ Scheduled Tribe – Member	Not applicable

3. In the principal regulations, in the Schedule, column number 6 shall be omitted against all the posts.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy
[ADVT.-III/4/Exty./100/(153)]

.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India Extra ordinary, Part-III-Section4 vide notification No. 2 /5/ 2011-EP (Agri.VI) dated the 1st March, 2013.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.